संख्या– /XX–4/2020–1(163)/2014 टी0सी0

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 11 नवम्बर, 2020

विषय–जिला कारागार, उधमसिंहनगर के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–2946/09/निर्माण/2014–15/18, दिनांक 30–01–2018 एवं पत्रांक–1057/09/निर्माण/2014–15/18, दिनांक 24–09–2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा गठित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला कारागार, उधमसिंहनगर के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में विषयगत निर्माण कार्य हेतु गठित पुनरीक्षित आगणन के परीक्षणोपरान्त् टी0ए0सी0, वित्त विभाग द्वारा कुल धनराशि रू0 4820.37 लाख (सिविल कार्य हेतु रू0 4548.98 लाख + रू0 271.39 लाख अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु) को औचित्यपूर्ण पाया गया है।

3– उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, उधमसिंहनगर के निर्माण हेतु गठित आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 4820.37 लाख (रू0 अड़तालिस करोड़, बीस लाख, सैंतिस हजार) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत जेलों का निर्माण/भूमि कय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में रू0 960.98 लाख (रू0 नौ करोड़, साठ लाख, अट्ठानब्बे हजार मात्र) अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4– उक्त स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा रही है :–

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नही किया जायेगा।
3. समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लायी जाय।
5. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

6. कार्य को समय से पूर्ण कराने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475/XXVII(1)/2008, दिनांक 15–12–2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था के साथ अनुबन्ध (MOU) किया जायेगा।
7. तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में मात्र अपरिहार्य स्थिति में सक्षम अधिकारी की सहमति के पश्चात ही परिवर्तन किया जायेगा।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006), दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधित), 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. निर्माण कार्य में स्ट्रक्चरल एवं Reinforcement Steel हेतु शत–प्रतिशत प्राइमरी स्टील का ही प्रयोग किया जायेगा।
11. निर्माण समग्री यथा रेत, बजरी, रोडी, सीमेन्ट तथा सरिया, स्ट्रक्चरल स्टील एवं अन्य प्रयुक्त निर्माण सामग्री का समय–समय पर एन0ए0बी0एल0 प्रयोगशाला में परीक्षण अवश्य कराया जायेगा।
12. निर्माण कर्ा प्रारम्भ करने से पूर्व प्राविधानित कार्यो की ड्राइंग एवं डिजायन सक्षम अधिकारी से अवश्य अनुमोदित करायी जाय तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय आवश्यक मदों का ही समावेश किया जायेगा।
13. आगणन में डी0एस0आर0 की दरें ली गयी है एवं उसी के अनुरूप मदें एव विष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियों तथा दरों में परिवर्ततन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समावेश करेंगे, जो अपरिहार्य मदें है।
14. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी शासन एवं नियोजन विभाग को अवगत करायेंगे।
15. तृतीय पक्ष गुणवत्ता का कार्य नियोजन विभाग द्वारा कराया जायेगा, जिसके लिए कार्य प्रारम्भ की सूचना शासन एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
16. निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि में अवश्यमेव पूर्ण कर लिया जाय तथा निर्माण की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।
17. निर्माण कार्य में दिव्यांग जनों के लिए आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाय।
18. वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31–03–2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5– अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 90 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रश्नगत निर्माण कार्य की अग्रेत्तर वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जायेगी। स्वीकृति धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों, वित्तीय हस्त पुस्तिका व बजट मैनुअल के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–10 के लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य 051–निर्माण–02–जेलों का निर्माण/भूमि क्रय–53–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7— यह आदेश वित्त विभाग की सहमति एवं अ0शा0 संख्या—142 मतदेय/XXVII(5)/2020—21, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 के क्रम में संलग्न अलॉटमेण्ट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव।

संख्या— 703/XX—4/2020—1(163)/2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि :—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4. साईबर ट्रेजरी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर—2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, उधमसिंहनगर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग—5।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जीवन सिंह)
उप सचिव।

IFMS Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)

Secretary-Secretary, Home(S019)

HOD-Inspector General Prisons(2471)

आवंटन पत्र संख्या -1(163)/2014 T.C.
अनुदान संख्या-010

आवंटन आई डी-S20110100001
आवंटन पत्र दिनांक-11-NOV-2020

लेखा शीर्षक	4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	80-General
	051-निर्माण	02-जेलों का निर्माण/ भूमि क्रय
	00-ज	Voted

4	0	5	9	8	0	0	5	1	0	2	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	8902000	96098000	0	105000000
योग	8902000	96098000	0	105000000

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.9,60,98,000 (Rupees Nine Crores Sixty Lacs Ninety Eight Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER